# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 052/2008

1 दौलतराम पुत्र श्री रामलाल जाति खत्री निवासी 39 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

2 दिनेश माहना पुत्र स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश जाति खत्री निवासी 114 एच. ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

3 सुधा हाण्डा पनि श्री शिवस्वरूप पुत्री स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश जाति खत्री निवासी टी.आर.ओ. कमपाउण्ड, सहारनपुर जरिए मुख्तयार आमदिनेश माहना पुत्र स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश जाति खत्री निवासी 114 एच. ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

– – वादी

—:: बनाम ::—

1 सरवन लाल पुत्र श्री रामलाल जाति खत्री निवासी नजदीक बीकानेर वस्तु भण्डार, आशीर्वाद विल्डीग, सैक्टर नम्बर 1 नजदीक हनुमान मन्दिर, संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2 ओमप्रकाश कारगवाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कुम्हार, लवकुश मॉडल स्कूल वाले, निवासी चावला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

3 रमादेवी उर्फ रामप्यारी पत्नि श्री ओमप्रकाश कारगवाल जाति कुम्हार, लवकुश मॉडल स्कूल वाले, निवासी चावला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

4 अवित } पिसरान श्री ओमप्रकाश कारगवाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कुम्हार,
5 अमित } लवकुश मॉडल स्कूल वाले, निवासी चावला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

6 गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह निवास ऐ–1, शालीमार बाग, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर।

7 साध संगत, श्रीगंगानगर जरिए वेदप्रकाश तनेजा पुत्र श्री लखमीचन्द जाति अरोड़ा निवासी 16 थर्ड ब्लॉक, ट्रक यूनियन के पीछे, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

8 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.

## —:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मोहनलाल छाबड़ा अधिवक्ता वादी
2. श्री काशीराम रिणवा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री ओ.पी. बत्तरा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 2 ता 5,
4. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 8

## —:: निर्णय ::—

दिनांक :– 26.02.2020

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी संख्या 1 के पिता एवं वादीगण संख्या 2 ता 3 के दादा स्वर्गीय श्रीरामलाल पुत्र श्री नन्दलाल के नाम से उनकी स्वअर्जित कृषि भूमि वाके चक 6 जैड़ ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना, 13 नया में 4.933 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 149 पुराना, नया 8 में 1.416 हैक्टर दोनो मुरब्बो में 6.349 हैक्टर अर्थात 25.02 बीघा कृषि भूमि थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 के पिता एवं वादीगण संख्या 2 ता 3 के दादा स्वर्गीय श्री रामलाल पुत्र श्री नन्दलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.04.1983 रजिस्टर्ड दिनांक 28.04.1983 अपने तीनो पुत्रों दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवनलाल एवं अपनी धर्मपनि श्रीमति विधावन्ती के हक में बहिस्सा बराबर बराबर इस शर्त के साथ तस्दीक करवायी कि मिकर की वफात के उपरान्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के अधिकारी रामलाल की पत्नि विधावन्ती एवं तीनो लड़के दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवनलाल बराबर के हकदार होंगे एवं यह शर्त भी वसीयत के पृष्ठ संख्या 3 पर स्पष्ट रूप से रामलाल द्वारा अंकित करवायी गयी कि पत्नि श्रीमति विधावन्ती की वफात के बाद कृषि भूमि के मिकर के तीनो लडके दौलतराम, ओमप्रकाश एवं

[illegible]। वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है असल बरवक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित [illegible]यी जावेगी। हालांकि वसीयत के सम्बन्ध में कोई विरोध किसी भी पक्षकार का नहीं है।

रामलाल द्वारा उपरोक्त वसीयत दिनांक 22.04.1983 रजिस्टर्ड दिनांक 28.04.1983 को [illegible] तमाम कृषि भूमि की निष्पादित करवायी गयी थी लेकिन पारिवारिक आवश्यकता होने के [illegible] रामलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील व जिला [illegible]नगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 149 पुराना, 48 नया की 1.416 हैक्टर कृषि भूमि [illegible] बेचान जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा दिनांकित 08.11.1983 से सतपाल, ब्रहमानन्द पिसरान [illegible] जालूराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा को कर दिया। जिनके द्वारा आगे बेचान करते करते [illegible] उक्त कृषि भूमि मौका पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में है बैयनामा की [illegible]णित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों अनुसार मुरब्बा नम्बर 149 पुराना हाल 48 की 1.416 हैक्टर कृषि भूमि [illegible]लाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से बेचान कर देने के [illegible] वर्ष 1991 में रामलाल के देहान्त के समय उनके पास तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक [illegible]ड ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 13 के 4.933 हैक्टर कृषि भूमि थी जिसे आगे वाद पत्र [illegible]दाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। अतः वसीयत उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध [illegible]भावी हुई।

रामलाल पुत्र श्री नन्दलाल के जीवनकाल में ही उनके एक पुत्र श्री ओमप्रकाश पिता [illegible]गण संख्या 2 ता 3 का देहान्त हो गया एवं माता श्रीमति सुदर्शना पत्नि श्री ओमप्रकाश का [illegible]न्त भी वर्ष 1994 में हो गया। श्रीरामलाल द्वारा अपनी वसीयत से अपनी पुत्रियों को कोई [illegible]त्ति नहीं दी तथा ना हीं उनके द्वारा आज तक वसीयत को चुनौती दी गयी है इसलिये उन्हें [illegible] में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ना ही वादाधीन कृषि भूमि में उनका कोई हित अथवा [illegible] अधिकार है।

रामलाल का देहान्त वर्ष 1991 में हो गया। श्री रामलाल के देहान्त उपरान्त वादाधीन कृषि [illegible] का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद वसीयत की रूह से वादीगण संख्या 1, वादीगण संख्या 2 [illegible] 3, प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतका विधावन्ती के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर अंकित हो गया। [illegible] यह तथ्य पुनः अंकित करना आवश्यक होगा कि वसीयतकर्ता श्री रामलाल द्वारा अपनी वसीयत [illegible] यह शर्त विशेष रूप से अंकित की थी कि श्रीमति विधावन्ती को एक हिस्सा उनके जीवनकाल [illegible] दिया गया है एवं उनके देहान्त उपरान्त समस्त वादाधीन कृषि भूमि के विधिक अधिकारी उनके [illegible] पुत्र है।

श्रीमति विधावन्ती को वसीयत के आधार पर प्राप्त 1/4 हिस्सा वादाधीन कृषि भूमि में [illegible]त अधिकार प्राप्त थे एवं वे उक्त 1/4 हिस्सा को किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का [illegible]कार नहीं रखती थी लेकिन श्रीमति विधावन्ती द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के एवं [illegible]वादी संख्या 1 के अनुचित प्रभाव में आकर दिनांक 09.09.1999 को एक प्रभावशून्य एवं प्रारम्भतः [illegible] दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपने 1/4 हिस्सा, जिसे कि अन्तरित [illegible]ने का कोई अधिकार मृतक श्रीमति विधावन्ती को प्राप्त नहीं था, की निष्पादित कर पंजीकृत [illegible]यी। उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज है एवं [illegible]गण के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल है ऐसे दस्तावेज से कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी [illegible] 1 को वादाधीन कृषि भूमि में मृतक श्रीमति विधावन्ती के हिस्से में [illegible] नहीं होते है तथा ना [illegible] ऐसे दस्तावेज की कोई कानूनन महत्तवता अथवा मूल्य है [illegible] विधावन्ती पत्नि श्री रामलाल [illegible] सःशर्त प्राप्त कृषि भूमि को अन्तरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रभाव शून्य एवं प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज के आधार पर बिना किसी [illegible]क अधिकार के विधावन्ती के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से तस्दीक [illegible] लिया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण की ओर से एक अपील संख्या 17/2003 माननीय [illegible] में प्रस्तुत की गयी जो कि विचाराधीन है एवं जिसमें आयन्दा तारीख पेशी 16.04.2008 [illegible] तलबी रिकॉर्ड नियत है। उक्त अपील इन्तकाल संख्या 197 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी एवं [illegible] अपील के जेरकार दौरान विधावन्ती का देहान्त हो चुका है एवं इन्तकाल एक फिसकल [illegible]वायरी है जिसमें अधिकारों का विनिश्चिय नहीं होता है इसलिये वादीगण वाद प्रस्तुत करने के [illegible]क अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

विधावन्ती धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री रामलाल वसीयत के जरिए प्राप्त वादाधीन कृषि भूमि में से

बिक रामलाल द्वारा यह व्यवस्था अपने जीवनकाल में ही कर दी थी कि वादाधीन कृषि भूमि के वन्ती के देहान्त उपरान्त उसके तीनो पुत्र ही खातेदार होंगे। ऐसी स्थिति में दस्तावेज बरदारी, जो विधावन्ती द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की गयी है, वादीगण के क अधिकारों पर बेअसर एवं प्रभावशून्य दस्तावेज है ऐसा दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मरतबा निवेदन किया कि वह ऐसे प्रभावशून्य एवं म्भतः शून्य दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर करवायी गयी राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्ठि को स्त करवाकर विधावन्ती का 1/4 हिस्सा का इन्तकाल वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 ता 3 एवं वादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर 1/3 हिस्सा का अंकन करवा लेवे एवं बन्दी दुरूस्त करवाकर उक्तानुसार इन्द्राज करवाकर अपने अपने हिस्सा पर अधिष्ठित हो जावें किन प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त इन्तकाल स्वीकृत करवाने के उपरान्त लालचवश हो चुका था लटोल की पद्धति अपनाते हुये वादीगण को आजकल कहकर टालता रहा।

तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 48 की 1.416 हैक्टर कृ भूमि रामलाल द्वारा विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से पूर्ण बेचान कर दी थी जो वर्तमान में वादीगण संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में है इसलिये वादीगण के खाता संख्या 47/48 से वादीगण संख्या 2 ता 7 की भूमि पृथक की जाकर शेष भूमि का विधिवत विभाजन बाद दारी अधिकारों की घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किया जाना न्यायोचित है। वादीगण संख्या 2 ता 7 को राजस्व रिकॉर्ड में सहकाश्तकार दर्ज होने के कारण रिफाये उज्र कार बनाया गया है । प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के नाम से मुरवा नम्बर 48 की 1.416 हैक्टर भूमि दर्ज की जाकर पृथक जमाबन्दी बनाई जाना न्यायोचित है इससे वादीगण को भी अपनी कृषि भूमि के विभाजन में सहूलियत रहेगी।

तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 1 3 के 33 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि, जो कि रामलाल द्वारा जीवनपर्यन्त अपनी नि विधावन्ती को दी थी एवं उनके देहान्त उपरान्त मुताबिक वसीयत रामलाल उक्त 1/4 हिस्सा षि भूमि के बहिस्सा बराबर बराबर के हकदार व खातेदार वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, दीगण संख्या 2 ता 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है लेकिन तिवादी संख्या 1 द्वारा प्रभावशून्य एवं प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज के आधार पर विधावन्ती के 1/4 स्सा का इन्तकाल अपने नाम से विधि विरूद्ध प्रकार से अंकित करवा लिया है इसलिये वादीगण रूस्ती रिकॉर्ड एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत करने के विधिक अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादाधीन कृषि भूमि में विधावन्ती के 1/4 हिस्सा पर बतौर अतिक्रमी जायज रूप से काबिज है, से वादीगण अधिकारों की घोषणा होने के उपरान्त कब्जा प्राप्त करने विधिक अधिकारी है एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला गंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 13 के 4.933 हैक्टर कृषि भूमि का रिए न्यायालय विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का वादी संख्या 1 का /3 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 ता 3 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का /3 हिस्सा विभाजन करवा पाने, जमाबन्दी अलग अलग तैयार करवा पाने एवं लगान अलग लग निर्धारित करवा पाने के विधिक अधिकारी है एवं वाद प्रस्तुत करने के विधिक अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मरतबा निवेदन किया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में शोधन करवाकर विधावन्ती के 1/4 हिस्सा को मुताबिक वसीयत रामलाल पुत्र श्री नन्दलाल वादी ख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा लेवे जिससे कि मलाल के अन्तिम ईच्छा पत्र मुताबिक प्रत्येक वारिस दौलतराम, प्रकाश के वारिसान एवं रवनलाल 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक हो जावे एवं रिकॉर्ड में अंकन उपरान्त सभी खातेदार पने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर विभाजन करवा लेवें लेकिन प्रतिवादी संख्या पूर्व में आजकल कहकर टालता रहा, अपील के विचाराधीन दौरान भी प्रतिवादी संख्या 1 को परोक्त सम्बन्ध में निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा आखिर दिनांक 15.02.2008 को ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस यही बिनाए मुखास्मत खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को हासिल है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 द्वारा हालांकि रब्बा नम्बर 48 की कृषि भूमि विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से खरीद की है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहकाश्तकार दर्ज होने के कारण विभाजन के आशय से उन्हें वाद में पक्षकार बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

क डिक्री घोषणात्मक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 13 के 4.933 हैक्टर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा का, वादी संख्या 2 ता 3 को 1/3 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

ख उक्तानुसार अधिकारों की घोषणा किये जाने के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उनके हिस्सानुसार अंकन किया जावे।

ग डिक्री दिलाये जाने कब्जा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से विधावन्ती के वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 13 के 4.933 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 को एवं 1/3 हिस्सा वादीगण संख्या 2 ता 3 को कब्जा मौका पर दिलाया जावे।

घ डिक्री विभाजन की बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 113 पुराना हाल 13 के 4.933 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का वादी संख्या 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 ता 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा पारित की जाकर जमाबन्दी अलग अलग तैयार की जावे एवं लगान पृथक पृथक निर्धारित किया जाकर अलग अलग कब्जा पर अधिष्ठित करवाया जावे। इसी प्रकार तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए का मुरब्बा नम्बर 48 की 1.416 हैक्टर कृषि भूमि की भूमि विभक्त की जाकर पृथक जमाबन्दी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के नाम से बनायी जावे।

ड. अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद वादीगण हो अतः फरमायी जावे।

च. वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 व 3 के दादा स्व. रामलाल के नाम से स्वअर्जित कृषि भूमि वाके चक 6 जैड–ए मुरब्बा नम्बर 113 पुराना व नया 13 में 4.933 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 149 पुराना व नया 48 में 1.416 हैक्टर दोनो मुरब्बें 6.349 अर्थात् 25.02 बीघा कृषि भूमि होना स्वीकार है।

रामलाल द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.04.1983 को अपने तीनों पुत्रों दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवनवाल व अपनी धर्मपत्नी विद्यावन्ती के हक में तस्दीक करवाया जाना स्वीकार है परन्तु इस पैरा में अंकित शेष कथन स्वीकार नही है। वसीयत दिनांक 22.04.1983 रजिस्टर्ड दिनांक 28.04.1983 के द्वारा उपरोक्त भूमि वसीयत से तीनों पुत्रों व अपनी पत्नी को भूमि में चारो को बराबर के अधिकार दिये थे और चारों को बतौर मालिक के अधिकार हासिल होनें का स्पष्ट कथन अपनी वसीयत में कर दिया था इस वसीयत से रामलाल की पत्नि विद्यावन्ती वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण मालिक हो गई थी, विद्यावन्ती का अपने पति से इस सम्पत्ति से गुजारा प्राप्त करने का अधिकार भी था और इस कारण विद्यावन्ती इस वसीयत से रामलाल की मृत्यु के बाद वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति की स्वयं मालिक होने से उसकी मृत्यु के बाद पैदा होने वाले विरास्तन अधिकार को नियंत्रित नही किया जा सकता और न विद्यावन्ती के जीवनकाल में इस सम्पत्ति के बारे में किया जा सकता कृत्य ... किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत दिनांक 22.04.1983 व रजिस्टर्ड दिनांक 28.04.1983 के निष्पादन के बाद रामलाल द्वारा अपनी उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 49 पुराना व नया 48 की 1.416 हैक्टर भूमि सतपाल व ब्रहानन्द को बेचा जाना स्वीकार है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 6 में उपरोक्त बेचान के बाद श्री रामलाल के पास मुरब्बा नम्बर 113 पुराना नया 13 की 4.933 हैक्टर भूमि होना स्वीकार है।

रामलाल का देहान्त होना व सुदर्शना का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु रामलाल की पुत्रियों वाद में आवश्यक पक्षकार थी रामलाल की सम्पत्ति के बारे में विरास्तन जाने पर पुत्रियां आवश्यक पक्षकार है, दावा आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज होने योग्य है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 8 में रामलाल का देहान्त सन् 1991 में होना व रामलाल की मृत्यु उपरान्त वादाधीन कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी व श्रीमती विद्यावन्ती के नाम से बहिस्सा बराबर अंकन ...

स्वीकार नही है। वसीयत के आधार पर विद्यावन्ती को प्राप्त 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में सीमित अधिकार होना कतई गलत होने से स्वीकार नही है। श्रीमती विद्यावन्ती को सम्पत्ति में पूर्ण मालिक के अधिकार प्राप्त हुए थे और वह भूमि को अन्तरित करने का अधिकार रखती थी उक्त पैरा के शेष अभिकथन में विधावन्ती द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के अनुचित प्रभाव में आकर दिनांक 09.09.1999 को एक प्रभाव शून्य व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपने 1/4 हिस्सा भी करवाये जाने का कथन गलत होने से स्वीकार नही है। श्रीमती विधावन्ती एक स्वतंत्र विचारों की औरत थी उस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई प्रभाव नही था श्रीमती विद्यावती ने अपनी स्वेच्छा से प्रतिवादी संख्या 1 के बिना किसी प्रभाव के सोच समझकर अपनी सम्पत्ति की दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया था और यह दस्तावेज दस्तबरदारी पूर्णतया प्रभावी प्रलेख है और यह दस्तावेज दस्तबरदारी वादीगण पर भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। इस दस्तावेज दस्तबरदारी से विद्यावन्ती के इस सम्पत्ति में जो अधिकार थे वह प्रतिवादी संख्या 1 को वैध रूप से प्राप्त हुए है। यदि वादी इस दस्तावेज को प्रतिवादी संख्या 1 के अनुचित प्रभाव में आकर करवाया गया होने के आधार पर केवल सिविल न्यायालय में ही इस प्रलेख को निरस्त किया जा सकता है या प्रभाव शून्य घोषित किया जा सकता है। रेवन्यु कोर्ट इस दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए इस दस्तावेज के बारे में कोई विपरीत निष्कर्ष निकालने में सक्षम नही है। दावा इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। श्रीमती विद्यावन्ती वादग्रस्त सम्पत्ति की पूर्ण मालिक होने से इससम्पत्ति को अन्तरित करने की अधिकारी थी।

प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा विद्यावन्ती के 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम करवाना स्वीकार है परन्तु यह इन्तकाल शून्य दस्तावेज के आधार पर करवाना स्वीकार नही है। यह दस्तावेज प्रारम्भतः शुन्य दस्तावेज होना स्वीकार नही है। यह दस्तावेज पूर्णतया वैध व प्रभावी है। इस इन्तकाल के विरूद्ध वादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु अपील वापिस ले ली गई है। श्रीमती विद्यावन्ती वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति को अन्तरित करने में पूर्णतया सक्षम थी, और इस वसीयत से विद्यावन्ती सम्पत्ति की पूर्ण मालिक थी, दस्तबरदारी पूर्णतया प्रभावी दस्तावेज है और वादीगण पर प्रभावी है।

वादीगण नें दस्तबरदारी के सम्बंध में प्रतिवादी से कभी कोई सम्पर्क नहीं किया है इस पैरा में दर्ज तथ्य दावा प्रस्तुत करनें का अधिकार बनानें के झूठा दर्ज किया गया है। वादीगण अपनें 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के 2/4 हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन किये जानें में मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। चक 6 जैड़ ए के मुरब्बा नम्बर 113/13 के 4,933 हैक्टर भूमि में विद्यावन्ती का 1/4 हिस्सा मिन प्रतिवादी के हक में जरियें दस्तबरदारी आने से मिन प्रतिवादी इस भूमि में 2/4 हिस्से का हकदार है। विद्यावती के इस हिस्से में वादीगण कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विद्यावन्ती की मृत्यु के समय विद्यावन्ती के पास भूमि का कोई हिस्सा नहीं है। वादीगण इस बाबत कोई घोषणा पाने के अधिकारी नहीं है। विद्यावन्ती की मृत्यु के समय विद्यावन्ती के पास भूमि का कोई हिस्सा नहीं है। वादीगण इस बावत कोई घोषणा पाने के अधिकारी नहीं है। विद्यावन्ती देवी के 1/4 हिस्सा या मिन प्रतिवादी का कब्जा बतौर मालिक खातेदार है। वादीगण उक्त भूमि में केवल 1/4, 1/4 हिस्सा का अधिकारी है। शेष भुमि 2/4 की हद तक मिन प्रतिवादी की है।

वाद पत्र का पैरा नं. 15 केवल वाद कारण दर्शाने के लिए गलत अंकित किया है। वादीगण कोई विद्यावन्ती के 1/4 हिस्सा की बाबत् दिनांक 09.09.1999 जो मिन प्रतिवादी को दे दिया गया है के बारे में कोई वाद कारण हासिल नही है। दावा [illegible] खारिज [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

दावे का माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार [illegible] नही है न दावा अन्दर अवधि है। केवल कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में [illegible] स्वीकार है। वाद पत्र के अनुतोष मद से इन्कारी है वादीगण कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः प्रतिवादी पत्र प्रस्तुत कर निवेदन, है, कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। [illegible] प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि में 2/4 हिस्सा का विभाजन किया जाकर कब्जा भूमि दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम निम्न प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए की वादाधीन मुश्तरका खाता कृषि भूमि में से खाता संख्या 40/35 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 13 व 48 की 25.02 बीघा नहरी मय खाल में से 20 हिस्सा भूमि बलवन्त कौर पुत्री नारायण सिंह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। श्रीमति बलवन्त कौर पुत्री नारायण सिंह ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 10

कर मौका पर अपने कब्जा की भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर मौका पर सुपुर्द किया। खरीद की दिनांक से बतौर खातेदार, शांतिपूर्वक प्रतिवादी संख्या 7 मौका पर उक्त वर्णित भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 के उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त को किसी भी सहकाश्तकार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है एवं ना ही कोई विवाद है महज राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मुश्तरका दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 7 वादाधीन कृषि भूमि में से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोड़कर काबिज है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 7 अपने नाम से दर्ज करवाकर पृथक जमाबन्दी बनवाने एवं लगान निर्धारित करवाने का अधिकारी है। इस हेतू पृथक से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादी मुजीब द्वारा खरीद की गयी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में महज मुश्तरका दर्ज है एवं वादी की स्वीकारोक्ति अनुसार प्रतिवादी मुजीब अपने नाम से अपने कब्जा काश्त की भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी की स्वीकारोक्ति अनुसार प्रतिवादी मुजीब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का एवं अपने कब्जा काश्त की भूमि अलग से अपने नाम से दर्ज करवाकर पृथक जमाबन्दी बनवा पाने का विधिक अधिकारी है।

प्रतिवादी मुजीब निवेदन करता है कि प्रतिवादी मुजीब का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी मुजीब के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्वर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर पृथक जमाबन्दी बनायी जावे एवं पृथक लगान निर्धारित किया जावे ।

प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपनें जबाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया. जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड़ ए की वादाधीन मुश्तरका खाता कृषि भूमि में से खाता संख्या 40/35 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 13 व 48 की 25.02 बीघा नहरी मय ख़ाल में से 20 हिस्सा भूमि बलवन्त कौर पुत्री नारायण सिंह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। श्रीमति बलवन्त कौर पुत्री नारायण सिंह ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 10 हिस्सों का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 29.12.1998 से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 को कर मौका पर अपने कब्जा की भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर मौका पर सुपुर्द किया। खरीद की दिनांक से बतौर खातेदार, शांतिपूर्वक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 मौका पर उक्त वर्णित भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 के उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त को किसी भी सहकाश्तकार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है एवं ना ही कोई विवाद है महज राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मुश्तरका दर्ज है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 वादाधीन कृषि भूमि में से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर काबिज है। एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 7 अपने नाम से दर्ज करवाकर पृथक जमाबन्दी बनवाने एवं लगान निर्धारित करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के अभिवचनों में हालांकि काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास नहीं है इसलिये वादी की स्वीकारोक्ति एवं प्रतिवादी मुजीब पर मौजूदा वाद के सम्मन की तामील होने पर एवं प्रतिवादी मुजीब का कब्जा काश्त तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर भूमि पर होने के कारण प्राथी/प्रतिवादी संख्या 7 को मौजूदा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का हेतूक हासिल हुआ है।

काउन्टर क्लेम सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। काउन्टर क्लेम विभाजन का है जो अन्दर मियाद एक रूपये की उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

न्यायालय विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में विभाजन का आदेश पारित करते हुए तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा एवं किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा कुल 10 हिस्सा डेरा के साथ खाला का एक बिस्वा व दो बिस्वा रास्ता को छोडकर भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से अंकित करने एवं पृथक जमाबन्दी तैयार कर पृथक लगान निर्धारित करने के आदेश पारित किये जायें।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रतिवादीगण के नाक चक 8 जैड तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 59/47 व खाता संख्या 33/45 में रकबा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का रकबा चला आ रहा है।

जमीन खरीद की गई थी खरीद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में रकबा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज किया गया जिस पर प्रतिवादीगण ने एक दावा उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 24.11.2015 को किया गया जिस पर प्रतिवादीगण का खाता अलग कर दिया गया नकल आदेश शामिल दावा है।

प्रतिवादीगण द्वारा खरीद शुद्धा भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण का शान्ति पूर्वक चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग किले दर्ज रकबा हो गया है चूंकि पूर्व में खाता अलग हो गया है जिसका विभाजन अब दोबारा नही किया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम अलग अलग खाता विभाजन आदेश पारित किया गया है उस रकबा का विभाजन करने का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 द्वारा अपने रकबा जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हिस्सा बनता है। उसका विभाजन का दावा जनाबवाला के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें तमाम सहकाश्तकार को नोटिस जारी होने के बाद जनाबवाला ने अंन्तिम डिग्री दिनांक 24.11.2015 को जारी डिग्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किलेवाईज रकबा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम हो चुका है। इसलिए इस रकबा के सम्बंध में वाद नही चल सकता इसलिए वाद खारिज किया जावे। लिहाजा जबाव दावा पेश करके अर्ज है कि वादीगण का दावा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 तक खारिज फरमाया जावें आपकी अति कृपा होगा।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में वादीयो एवम् प्रतिवादीयों का आपस में विवाद है, जो बाद सुनवाई राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतु आवेदित है।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि वादीगण वसीयत दिनांक 22.04.1983 पंजीकृत दिनांक 28.04.1983 में वर्णित तथ्यों अनुसार विद्यावन्ती के देहान्त उपरान्त उसके हिस्सा की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 एवम् 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 3 प्राप्त करनें का अधिकारी है ?

   – – वादीगण

2. आया कि विद्यावन्ती को विवादित वसीयत से पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए एवम् विद्यावन्ती द्वारा इसी अधिकार के तहत प्रतिवादीगण संख्या एक के पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी सही है ?
   – – प्रतिवादी संख्या 1
3. आया कि वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है ? – – प्रतिवादी संख्या 1
4. आया कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम की भूमि का विभाजन पूर्व में ही जरिये न्यायालय डिक्री हो चुका है, तो उसका वाद पर क्या प्रभाव है ?

   – – प्रतिवादी संख्या 2 ता 7

5. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 1</u> :– आया कि वादीगण वसीयत दिनांक 22.04.1983 पंजीकृत दिनांक 28.04.1983 में वर्णित तथ्यों अनुसार विद्यावन्ती के देहान्त उपरान्त उसके हिस्सा की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 एवम् 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 ता 3 प्राप्त करनें का अधिकारी है ? – – वादीगण

<u>तनकी संख्या 2</u> :– आया कि विद्यावन्ती को विवादित वसीयत से पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए एवम् विद्यावन्ती द्वारा इसी अधिकार के तहत प्रतिवादीगण संख्या एक के पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी सही है ? – – प्रतिवादी संख्या 1

उपरोक्त दोनो तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्धित एवं पूरक होने के कारण इनका एक साथ विनिश्चिय किया जा रहा है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण एवं तनकी

...माहना पुत्र स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश का शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित ...वं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबन्दी, रामलाल द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 08. ... प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, मूल वसीयतनामा दिनांकित 22.04.1983 प्रदर्श 3, विधावन्ती ...नलाल द्वारा प्रतिवादी सरवणलाल के पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी की प्रमाणित ...र्श 4 एवं वादिया संख्या 3 सुधा के द्वारा वादी संख्या 2 दिनेश माहना के पक्ष में ...ज़्यारनामा मूल प्रदर्श 5 को साबित

...प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपनी साक्ष्य में डी.डब्लयू. 1 स्वयं का शपथ मुख्य परीक्षा ...या है एवं अपने पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी प्रदर्श–ऐ 1 को दस्तावेजी साक्ष्य में ...या है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लयू. 1 ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि ...दिनांक 22.04.1983 को वसीयत अपने तीन पुत्रों दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवनलाल एवं ...विद्यावन्ती के पक्ष में निष्पादित कर दिनांक 28.04.1983 को इस शर्त के साथ ...यी थी कि रामलाल के मरने के उपरान्त रामलाल की पत्नि एवं तीनो पुत्र बराबर के ...एवं रामलाल की पत्नि विद्यावन्ती के मरने के उपरान्त तीनो लडके अर्थात दौलतराम, ... सरवनलाल बराबर बराबर के हकदार होंगे। विद्यावन्ती को वसीयत के आधार पर ...हिस्सा में सीमीत अधिकार प्राप्त थे एवं वह अपना 1/4 हिस्सा किसी को अन्तरित ...धिकार नहीं रखती थी। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुचित प्रभाव में आकर दिनांक 09.09. ...द्यावन्ती ने अपने 1/4 हिस्सा की भूमि की सरवनलाल के पक्ष में निष्पादित की गयी ...ारम्भतः एवं प्रभाव शून्य है ऐसी प्रभाव शून्य एवं प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज दस्तबरदारी ... प्रतिवादी सरवण लाल के पक्ष में स्वीकृत इन्तकाल को निरस्त करवाकर एवं राजस्व ...शोधन करवाकर रामलाल के नाम की भूमि में 1/3 हिस्सा प्रत्येक वारिस अंकन ...विभाजन करवाने के अधिकारी है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि दादा ...अपनी वसीयत से अपनी कृषि भूमि में विद्यावन्ती, दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवणलाल को ...धिकार शर्त के साथ दिये थे। यह बात सही है कि वसीयत में रामलाल द्वारा यह शर्त ...करवायी थी कि विद्यावन्ती अपने हिस्से को किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करेगी। ... गलत बताया है कि वसीयत में विद्यावन्ती की मृत्यु के उपरान्त तीनो पुत्र बराबर के ...यह शर्त उसी परिस्थिती में लागू होनी थी जब विद्यावन्ती अपना हिस्सा अन्तरित ना ...सके पास होता। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि विद्यावन्ती को वसीयत से ... अधिकार प्राप्त थे एवं बतौर मालिक वह अपना हिस्सा अन्तरित करने हेतू सक्षम एवं ...वं इस सुझाव को भी गलत बताया है कि दस्तबरदारी से विद्यावन्ती के हिस्से का ...तेदार सरवणलाल है। डी.डब्लयू. 1 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ पत्र ... से यह कथन किया है कि वसीयत के आधार पर रामलाल के प्रत्येक वारिस को ... के हक व अधिकार प्राप्त हुए थे एवं विद्यावन्ती द्वारा बतौर मालिक अपने हिस्से का ...ए पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी से उसके पक्ष में किया है जिससे वह रामलाल की ...त भूमि में से 1/2 हिस्सा का मालिक व खातेदार हो चुका है। जिरह में इस गवाह ...को स्वीकार किया है वसीयत 22.04.1983 को की थी, हिन्दी पढ़ लेता है एवं वसीयत ...यह अंकन करवाया था कि विधावन्ती की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि के मालिक ... दौलतराम, ओमप्रकाश व सरवनलाल होंगे। इस सुझाव को गलत बताया है कि ...तबरदारी करने का अधिकार नहीं रखती थी। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि माता ...हती थी एवं देहान्त भी उसी के पास हुआ। इस सुझाव को गलत बताया ... माता ... रहने का अनुचित लाभ उठाकर बिना अधिकार एवं वसीयत की शर्तों के विरुद्ध ...की दस्तबरदारी माता को बिना बताये अपने पक्ष में निष्पादित करवा ली हो। ... बात ... प्रदर्शित की है कि पिता रामलाल ने वसीयत में यह तथ्य लिखवाया कि माता ...मृत्यु के उपरान्त तीनो लडके बराबर के हकदार होंगे। माता की दस्तबरदारी ... रोज ...होना माना है लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

...ण के अधिवक्ता द्वारा तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 पर अपनी बहस में मुख्य ...त्मक बिन्दु यह कथन किया है कि विद्यावन्ती को वसीयत में अंकित तथ्यों अनुसार ...हिस्सा पर सीमीत अधिकार प्राप्त थे एवं वह अपने 1/4 हिस्सा का अन्तरण ...ा 1 के पक्ष में अन्तरित करने का अधिकार नहीं रखती थी इसी के साथ वादीगण के ... विधिक रूप से यह बिन्दु उठाया है कि ...

परित्याग करने का अधिकार नहीं रखती थी क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दस्तबरदारी हक परित्याग करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं एक सहकाश्तकार के पक्ष में हक त्याग नहीं किया जा सकता था वरन् सभी के पक्ष में ही हक का परित्याग किया जा सकता था। इसलिये ऐसे प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं विद्यावन्ती के 1/4 हिस्से में तीनो पुत्र अर्थात वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 वा 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित कर विभाजन किये जाने योग्य है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में अपने कथनों के समर्थन में ऐ.आई.आर. 1961 सर्वोच्च न्यायालय 1302, 2008 आर.बी.जे. 446, 2011 आर.बी.जे. 225 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर तनकीयात का निर्णय उपरोक्तानुसार अपने पक्ष में किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी जवाब बहस में जवाबदावा में अंकित तथ्यों पर पुरजोर निवेदन करते हुए कथन किया कि रामलाल द्वारा अपनी वसीयत से चारों को बराबर के हक व अधिकार दिये थे एवं विद्यावन्ती अपने 1/4 हिस्सा को हर प्रकार से उपयोग व अन्तरण करने का अधिकार रखती थी जिसके तहत ही विद्यावन्ती ने अपने 1/4 हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिए दस्तबरदारी परित्याग किया था जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 मालिक व खातेदार है। अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा 2016 डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट 1016 एवं ए.आई.आर. 1998 राजस्थान 348, 2013 (2) आर.आर.टी. 832 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के खिलाफ एवं तनकी संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुतकर्दा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि रामलाल द्वारा अपनी कृषि भूमि की पंजीकृत वसीयत का निष्पादन विद्यावन्ती एवं दौलतराम, ओमप्रकाश, सरवनलाल के पक्ष में किया तथा इस वसीयत में इस तथ्य को अंकित किया कि विद्यावन्ती की मृत्यु के उपरान्त तीनो पुत्र बराबर बराबर के हकदार होंगे। इस बिन्दु को दोनो पक्ष स्वीकार करते है लेकिन इसका क्यास दोनो पक्ष अपने अपने ढंग से लगाते हुए वादीगण कथन करते है कि वसीयत से विद्यावन्ती को सीमीत अधिकार प्राप्त थे इसलिये दस्तबरदारी प्रभावशून्य दस्तावेज है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि विद्यावन्ती को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे इसलिये उसके पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में वसीयत प्रदर्श 3 में अंकित तथ्यों का यदि अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि रामलाल द्वारा अपनी वसीयत में ऐ से बी यह अंकित करवाया है कि विद्यावन्ती की मृत्यु उपरान्त उसके तीनो पुत्र बराबर के हकदार व मालिक होंगे जिसका प्रत्यक्षतः सार यह है कि रामलाल द्वारा अपने ईच्छा पत्र में इस बिन्दु को अवधारित कर दिया कि विद्यावन्ती के उपरान्त उसके तीनो पुत्र भूमि के बराबर के मालिक होंगे अन्यथा रामलाल को ऐसा तथ्य अंकित करवाने की आवश्यकता नहीं होती यदि उसके द्वारा विद्यावन्ती को पूर्णतः अधिकार वसीयत से प्रदान कर दिये जाते। इस सम्बन्ध में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1961 सुप्रीम कोर्ट 1302 में दी गयी व्यवस्था अनुसार उक्त दृष्टान्त प्रकरण हाजा पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इसके अलावा यह बिन्दु भी विधिक रूप से एवं प्रस्तुतकर्दा न्यायिक दृष्टान्तों 2008 आर.बी.जे. 446, 2011 आर.बी.जे. 225 से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में अपने खातेदारी अधिकारों का परित्याग करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं एक सहकाश्तकार द्वारा समस्त के पक्ष में अपने हकों का परित्याग ना कर वरन् एक के पक्ष में हक परित्याग करने का कोई प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप विद्यावन्ती द्वारा निष्पादित [illegible] विधि विरुद्ध होने एवं प्रारम्भतः शून्य होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसे दस्तावेज [illegible] विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है द्वितीय उक्त दस्तावेज पर आये आक्षेपों को समुचित साक्ष्य [illegible] विखण्डित करने हेतू प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा समुचित साक्ष्य भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं [illegible] है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होते है। परिणामतः विद्यावन्ती को वसीयत से पूर्णतः अधिकार प्राप्त ना होने के कारण एवं विद्यावन्ती द्वारा अपने 1/4 हिस्सा की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के हक में सही नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप स्वर्गीय श्रीमति विद्यावन्ती के 1/3 हिस्सा में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 वा 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। परिणामतः तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.10 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था जैसा कि पूर्व में ही तनकी संख्या 1 वा 2 के निर्णय में विनिश्चित किया जा चुका है कि विधावन्ती को वसीयत से अपने 1/4 हिस्सा के सम्बन्ध में सीमीत अधिकार प्राप्त हुए एवं उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की गयी दस्तबरदारी बिना अधिकार की गयी होने के फलस्वरूप प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है जिसको विधि अनुसार निरस्त करवाये जाने की कतई आवश्यकता नहीं होने के कारण एवं शून्य दस्तावेज के अस्तित्व को नकार घोषणा का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने के फलस्वरूप तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम की भूमि का विभाजन पूर्व में ही जरिए न्यायालय डिक्री हो चुका है तो उसका वाद पर क्या प्रभाव है ?

— — प्रतिवादी संख्या 2 ता 7

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 पर था। दौराने विचारण एवं बहस वादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम से उनके पक्ष में पारित न्यायालय की डिक्री अनुसार इन्द्राज करने एवं खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति जाहिर ना कर वरन् सहमति प्रदान की गयी है इसलिये ऐसी अवस्था में तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 5 :–</u> अनुतोष

चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित हुआ है फलतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 10.09.2018 को प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ./प्रा.डिकी/2018/5729 दिनांक 20.09. 2018 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से जरिए कमांक अपील/22आर.टे.ए/163 दिनांक 23.09.2019 को पत्रावली इस आदेश के साथ प्राप्त हुई कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर नियमानुसार स्टाम्प एक्ट के तहत वाद का निर्णय किया जावे।

वकील उभ्यपक्ष द्वारा स्वयं उपस्थित होकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया। बहस वकील उभ्यपक्ष सुनी गई। वकील उभ्यपक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया।

**<u>–:: आदेश ::–</u>**

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

1. अपीलान्ट/प्रतिवादी सरवणल[illegible]नगर के चक 6 जैड ए, पटवार हल्का रामनगर का खाता संख्या 59[illegible] नम्बर 13 की 4.934 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 13 क[illegible] 0.203 है. भूमि एवं 0.025 है. खाल), 2/1 में 0.201 है. (जिसमें 0.1[illegible] एवं 0.020 है. खाल), 9/1 में 0.226 है., 10 में 0.253 है., 11 में 0.253 है., 12/1 में 0.226 है., 19/1 में 0.226 है., 20 में 0.253 है. तादादी कुल 1.866 है. जिस[illegible] 1.821 हैनहरी भूमि एवं 0.045 है. खाल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी दौलतराम को तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए, पटवार हैल्का रामनगर का खाता संख्या 59/47, मुरब्बा नम्बर 13 की 4.934 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 13 का किला नम्बर 4/2 में 0.1325 है. (जिसमें 0. 1145 है. भूमि एवं 0.018 है. खाल), 5 में 0.228 है., (जिसमें 0.177 है. भूमि एवं 0.051 है. खाल), 6 में 0.253 है. (जिसमे 0.228 है. भूमि एवं 0.025 है.खाल), 7/2 में 0.1435

16 में 0.253 है. (जिसमें 0.228 है. भूमि एवं 0.025 है. खाल), 17/2 में 0.1435 है. तादादी कुल 1.550 है. जिसमें 1.405 है. नहरी भूमि एवं 0.145 है. खाल।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3/वादीगण दिनेश माहना एवं सुधा को तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 जैड ए, पटवार हल्का रामनगर का खाता संख्या 59/47, मुरब्बा नम्बर 13 की 4.934 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 13 का किला नम्बर 2/2 में 0.027 है. (जिसमें 0.022 है. भूमि एवं 0.005 है. खाल), 3 में 0.227 है. (जिसमें 0.202 है. भूमि एवं 0.025 है. खाल), 4/1 में 0.0955 है. (जिसमें 0.0875 है. भूमि एवं 0.008 है. खाल),7/1 में 0.1095 है., 8 में 0.253 है., 9/2 में 0.027 है., 12/2 में 0.027 है. 13 में 0.253 है., 14/1 में 0.1095 है., 17/1 में 0.1095 है., 18 में 0.253 है., 19/2 में 0.027 हैक. तादादी कुल 1.518 हैक. जिसमें 1.480 हैक. नहरी भूमि एवं 0.038 हैक. खाल का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested